रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 9, 2017/पौष 19, 1938
No. 06] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 9, 2017/PAUSA 19, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

मामला संख्या एस.एस.आर. 2/2017

(निर्णायक समीक्षा)

विषय : चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलान फिलामेंट यार्न के आयातों से संबंधित पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जाँच की शुरूआत।

फा. सं. 15/17/2016-डीजीएडी.—1995 में यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित नायलान फिलामेंट यार्न (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। प्राधिकारी की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना दिनांक 3 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं.14/5/2005-डीजीएडी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। जाँच परिणाम के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 85/2006-सीमाशुल्क दिनांक 29 अगस्त, 2006 द्वारा संबद्ध देशों से संबंद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था।

2. तत्पश्चात, चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य से एनएफवाई के आयातों से संबंधित एसएसआर जाँच की गई थी। प्राधिकारी ने जाँच समाप्त की और दिनांक 19 नवंबर, 2011 की अंतिम जाँच परिणाम अधिसूचना सं. 15/14/2010 के माध्यम से शुल्कों की सिफारिश की। तदनुसार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 3/2012-सीमाशुल्क के द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया गया।

क. निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

3. यत: सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 9क(5) के अनुसार लागू पाटनरोधी शुल्क को यदि उससे पहले न हटाया जाए तो उनके लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों के बाद वह निष्प्रभावी हो जाते हैं और प्राधिकारी के लिए इस बात की समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की आशंका है। यत:, प्रस्तुत किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एतद्वारा निर्णायक समीक्षा की शुरूआत करते हैं ताकि इस बात की जाँच की जा सके कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना है।

ख. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद नायलान का सिंथेटिक फिलामेंट यार्न है जिसे पोलिआमाइड यार्न (नायलान फिलामेंट यार्न के रूप में भी वर्णित और संबद्ध वस्तु के रूप में भी उल्लिखित) के रूप में भी जाना जाता है। नायलान फिलामेंट यार्न एक सिंथेटिक फिलामेंट यार्न होता है जिसे कार्बनिक मोनोमर्स के पालीमराजेशन से उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद में नायलान के सभी प्रकार के सिंथेटिक फिलामेंट यार्न या पालीआमाइड्स, सिलाई धागे से इतर जैसे फ्लैट यार्न – ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड, फुली ड्रान यार्न (एफडीवाई), स्पिन ड्रान यार्न (एसडीवाई), फुली ओरिएंटेड यार्न (एफओवाई), उच्च ओरिएंटेड यार्न (एचओवाई), आंशिक रूप से ओरिएंटेड यार्न(पीओवाई), टैक्सचर्ड यार्न - ट्विस्टेड और/या अनट्विस्टेड और डाइड यार्न, सिंगल, डबल, मल्टिपल, फोल्डेड या केबल्ड शामिल हैं जो सीमाशुल्क उपशीर्ष सं. 5402 के अधीन अध्याय 54 के भीतर वर्गीकरण योग्य हैं परंतु इनमें नायलान के उच्च तन्यता वाले यार्न या अन्य पालीआमाइड्स शामिल नहीं हैं। इस उत्पाद में नायलान फिलामेंट यार्न या पालीआमाइड यार्नों की सभी किस्में जैसे फ्लैट/टैक्सचर्ड/ट्विस्टेड/अनट्विस्टेड, ब्राइट/सेमी-डल/फुल-डल (या उसकी किस्में), ग्रे/कलर्ड/डाइड (या उसकी किस्में), सिंगल/डबल/मल्टिपल/फोल्डेड/केबल्ड (या उसकी किस्में), चाहें आकार में हों अथवा नहीं शामिल हैं परंतु इनमें सीमाशुल्क उपशीर्ष 5402.10 के अधीन वर्गीकृत नायलान के उच्च तन्यता वाले यार्न और सीमाशुल्क उपशीर्ष 5402.10 के अधीन वर्गीकृत फिशनेट यार्न शामिल नहीं हैं। तदनुसार, सीमाशुल्क उपशीर्ष 5402.10 के अधीन वर्गीकृत उच्च तन्यता वाले नायलान फिलामेंट यार्न के सभी प्रकार वर्तमान जॉंच के दायरे से बाहर हैं। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जॉंच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

नॉयलोन फिलामेंट यार्न का वस्त्र अनुप्रयोगों के लिए व्यापक रुप से इस्तेमाल होता है, जिसमें साड़ी, दुपट्टा, महिलाओं के ड्रेस मेटिरियल/फैशन वीयर, फेंसी केजुअल निट वीयर, स्टॉकिंग और स्टॉक्स, इंटिमेट वीयर और फाउंडेशन वीयर, अधोवस्त्र (लिंजेरी) और नाइट वीयर, ब्रीफ्स, पैन्टीज, स्लिप्स, किड्स वीयर, स्पोर्ट्स वीयर, और एक्टिव वीयर, स्विम वीयर, और बीच वीयर, आउटरवीयर, विंड वीयर, फैशन का सामान, इलास्टिक टेप्स, शो/फुटवीयर लाइनिंग, लेस/फैंसी टेप्स, टाई, स्कार्फ, फैदर यार्न, रिबन/साटिन रिब्बन इत्यादि शामिल हैं।

ग. प्रक्रिया

5. इस जांच से यह निर्धारित होगा कि क्या उपाय की समाप्ति से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है। प्राधिकारी इस बात की जांच करेंगे कि क्या पाटन की क्षतिपूर्ति के लिए शुल्कों को लागू रखना आवश्यक है और क्या यदि शुल्क को समाप्त या उसमें बदलाव किया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृति होने की संभावना है।

i. इस समीक्षा में दिनांक 13 जनवरी, 2012 की अधिसूचना सं. 3/2012-सीमाशुल्क के सभी पहलू शामिल होंगे। इस समीक्षा जांच में शामिल देश चीन जन. गण., चीनी ताइपेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाइलैंड और कोरिया गणराज्य हैं।

ii. वर्तमान जांच के लिए जांच अवधि अप्रैल 2015 से सितंबर 2016 तक की है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2012-मार्च 2013, अप्रैल 2013-मार्च 2014, अप्रैल 2014-मार्च 2015 और जांच अवधि शामिल होगी।

iii. संबंधित नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के उपबंध आवश्यक संशोधनों के साथ इस समीक्षा पर लागू होंगे।

प्रश्नावली उत्तर प्रस्तुत करते हुए उत्पादक/निर्यातक को विनिर्माण, उत्पादन और घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की बिक्री और भारत और अन्य देशों को निर्यात के संबंध में मौजूदा बाजार की स्थितियों को प्रदर्शित करना होगा। इस प्रयोजनार्थ, उत्पादक/निर्यातक निम्नलिखित के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकते हैं या पर्याप्त सूचना उपलब्ध करा सकते हैं:

क) कीमत, लागत,कच्ची सामग्री सहित निविष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, बिक्री और निवेश के संबंध में निर्णय बाजार संकेतकों जो आपूर्ति और मांग को दर्शाते हैं और राज्य के किसी हस्तक्षेप के बिना लिये जाते हैं और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करती है।

ख) उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती किसी विकृति से प्रभावित नहीं हैं।

ग) उत्पादक/निर्यातक दिवालिया और संपत्ति कानून के अधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन के लिए विधिक निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं।

घ) विनिमय दर में परिवर्तन बाजार दर पर किये जाते हैं।

घ. <u>सूचना प्रस्तुत करना</u>

6. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्राधिकारी को नीचे दिए गए पते पर प्रस्तुत कर सकें:

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग,

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना संबंधी कोई अनुरोध नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

<u>समय-सीमा</u>

7. वर्तमान जाँच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, रिकार्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

8. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतदद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच की शुरूआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपायों को जारी रखने या अन्यथा के संबंध में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

<u>च. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना</u>

9. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में गोपनीयता का दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख). अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर ''गोपनीय ''या'' अगोपनीय'' अंकित होना चाहिए।

10. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

11. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।

12. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध /रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों सभव नहीं है।

13. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते है। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

14. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

छ. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

15. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

ज. असहयोग

16. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

डॉ. इंद्रजीत सिंह, अपर सचिव और निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 9th January, 2017

Case No. SSR-2/2017

(Sunset Review)

Subject: Initiation of Sunset Review Investigation of Anti-dumping duty concerning imports of Nylon Filament Yarn originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP.

F. No. 15/17/2016-DGAD.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) recommended imposition of Anti-Dumping Duty on imports of Nylon Filament Yarn (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP (hereinafter referred to as subject countries). The final findings notification of the Authority was published vide notification No. 14/5/2005-DGAD dated 3rd July, 2006. On the basis of the findings, anti-dumping duty was imposed on the imports of the subject goods from subject countries by the Department of Revenue vide notifications No. 85/2006 – Customs dated 29th August, 2006.

2. Thereafter, the first SSR investigation concerning imports of NFY from China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP was conducted. The Authority concluded the investigation and recommended duties via Final Finding Notification No. 15/14/2010-DGAD dated 19th November, 2011.

Accordingly, definitive anti-dumping duties were imposed vide Ministry of Finance Notification No. 3/2012-Customs, dated the 13th January, 2012.

A . Initiation of Sunset Review

3. WHEREAS in terms of Section 9A (5) of the Customs Tariff (Amendment) Act 1995, the antidumping duties imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition and the Authority is required to review, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. Whereas, in view of the duly substantiated application filed and in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of the Anti-Dumping Rules, the Designated Authority hereby initiates sunset review in accordance to examine whether cessation of the duty would be likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

B. Product under Consideration

4. The product under consideration in the present investigation is Synthetic Filament Yarn of Nylon also known as Polyamide Yarns (also described as Nylon Filament Yarn and also referred to as subject goods). Nylon Filament Yarn is a synthetic filament yarn produced by polymerization of organic monomers. The product under consideration includes all kinds of synthetic filament yarns of Nylon or Polyamides, other than sewing thread, such as flat yarn - twisted and/or untwisted, fully drawn yarn (FDY), spin drawn yarn (SDY), fully oriented yarn (FOY), high oriented yarn (HOY), partially oriented yarn (POY), textured yarn – twisted and/or untwisted, and dyed yarn, single, double, multiple, folded or cabled, classifiable within Chapter 54 under customs subheading no. 5402, but excludes high tenacity yarn of nylon or other polyamides. The product includes all variants of Nylon Filament Yarn or Polyamide Yarns such as flat/textured/twisted/ untwisted, bright/semi-dull/ full-dull (or variants thereof), Grey/colored/ dyed (or variants thereof), single/ double/ multiple/ folded/ cabled (or variants thereof), whether or not sized, but excludes high tenacity yarn of nylon classifiable under customs sub- heading 5402.10 and fishnet yarn, classifiable under customs classification no. 5402.10. Accordingly, all types of high tenacity nylon filament yarn, classifiable under customs classification no. 5402.10 are beyond the scope of present investigations. The Customs classification, however, is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Nylon filament yarn has vast applications in textiles applications, which includes saree, dupatta, women's dress material / fashion wear, fancy causal knit wear, stockings and stocks, intimate wear and foundation wear, lingerie and night wear, briefs, panties, slips, kids wear, sports wear and active wear, swim wear and beach wear, outer wear, wind wear, fashion accessories, elastic tapes, show/footwear linings, laces/fancy tapes, tie/scarves, feather yarn, ribbons/satin ribbons, etc.

C. Procedure

5. The investigation will determine whether the expiry of the measure would be likely to lead to a continuation or recurrence of dumping and injury. The Authority will examine whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the dumping and injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied

i. The review will cover all aspects of Notification 3/2012 – Customs dated 13th. January, 2012. The countries involved in this review investigation are China PR, Chinese Taipei, Malaysia, Indonesia, Thailand and Korea RP.

ii. The period of investigation for the purpose of the present review will be April 2015 to September, 2016. The injury investigation period will however cover the periods April' 2012-March' 2013, April' 2013– March 2014', April' 2014-March' 2015 and the POI.

iii. The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

While submitting questionnaire response, producer/ exporter may have to demonstrate prevalence of market condition related to manufacture, production and sale of subject good in the domestic market and in export to India and other countries. For this purpose, the producer/exporter, may clarify and provide sufficient information on the following:

a) Decision in regard to price, cost, input including raw material, cost of technology and labor, output, sales and investment, are made in response to market signal reflecting supply and demand and without significant state interference and weather cost of major inputs substantially reflect market value.

b) Production costs and financial situation does not suffer from any distortion.

c) The producer/exporter are subject to bankruptcy and property law which guarantees legal certainty and stability for the operation of the firms.

d) Exchange rate conversions are carried out at the market rate.

D. Submission of information

6. The known exporters in the subject countries, the Government of the subject countries through their embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,

Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,

Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce

4th Floor, Jeevantara Building,

5 Parliament Street, New Delhi -110001

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

E. Time limit

7. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-Dumping Rules.

8. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

F. Submission of Information on Non-Confidential basis

9. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential**"** or "non-confidential" at the top of each page

10. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information.

11**.** For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

12**.** The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

13. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

14. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

G. Inspection of Public File

15. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non -confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

H. Non-cooperation

16. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

Dr. INDER JIT SINGH, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.01.10 14:18:33 +05'30'